[2018] 4 एस. सी. आर 751

भास्कर राव और ओआरएस।

वी.

महाराष्ट्र राज्य

(2014 की आपराधिक अपील संख्या 408)

26 अप्रैल, 2018।

[एन. वी. रमना और एस. अब्दुल नजीर, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860:

एसएस। 147 , 148 , 452 आर/डब्ल्यू एस। 149 , s.302/149 और s। 506- 16 अभियुक्तों द्वारा एक व्यक्ति की हत्या के लिए अभियोजन-ट्रायल कोर्ट

सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया-उच्च न्यायालय ने बरी करने के आदेश को उलट दिया-अपील पर, अभिनिर्धारित कियाः गवाहों के साक्ष्य सुसंगत नहीं थे-गवाहों के बयान में बहुत सुधार हुआ-इसमें शामिल अभियुक्त व्यक्तियों की संख्या के संबंध में विरोधाभासी बयान थे-सभी गवाह संबंधित थे-सामग्री स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ नहीं की गई-अभियोजन पक्ष मकसद साबित करने में विफल रहा-पंच गवाहों के साथ-साथ चिकित्सा साक्ष्य ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया-इस प्रकार, घटनाओं की श्रृंखला को अभियोजन पक्ष द्वारा ठीक से रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया कहा जा सकता है अभियोजन पक्ष के मामले में कमियों और विसंगतियों को देखते हुए, अभियुक्त व्यक्तियों को मृतक को मारने के उद्देश्य से गैरकानूनी सभा का गठन करने के लिए नहीं कहा जा सकता है-अभियुक्त का अपराध उचित संदेह से परे साबित नहीं हुआ-बरी करना उचित है।

आपराधिक कानूनः

अभिप्रेरणा-साक्ष्य मूल्य-आयोजितः परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, उद्देश्य की भूमिका होती है-लेकिन अभियोजन पक्ष को हटाने के लिए

केवल उद्देश्य की कमी पर आधारित मामला इस कारक को श्रेय देने के बराबर होगा, जहां यह देय नहीं है।

अपीलः

बरी किए जाने के खिलाफ अपील-और के साथ हस्तक्षेप

अपीलीय न्यायालय द्वारा साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन-आयोजित किया गयाः अपीलीय न्यायालय से उम्मीद की जाती है कि वह बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने में बहुत सतर्क रहेगा-इसके हस्तक्षेप की आवश्यकता केवल तभी होती है जब कोई ठोस कारण और ठोस आधार हों।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रमाणः

परिस्थितिजन्य साक्ष्य-परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मूल्य इसके संचयी प्रभाव पर निर्भर करता है-जब ऐसे कई साक्ष्यों को एक साथ लिया जाता है, तो वे दोषसिद्धि को सही ठहराने के लिए पर्याप्त संभावित बल ले सकते हैं, यदि ऐसे साक्ष्य घटनाओं की एक अखंड श्रृंखला बनाते हैं जिसके परिणामस्वरूप केवल एक परिकल्पना होती है।

गवाहः

संबंधित गवाह-साक्ष्य मूल्य आयोजितः का हित

गवाह अपनी गवाही को प्रभावित करता है-पक्षपात के प्रभाव में, एक आदमी सही तरीके से न्याय करने की स्थिति में नहीं हो सकता है-इसलिए, परिणाम में रुचि रखने वाले गवाह को, यदि उन लोगों के साथ समान तराजू में तौलने की अनुमति दी जाती है, जिनकी कोई रुचि नहीं है परिणाम, विकृत सत्य के लिए अदालत के दरवाजे खोलना होगा।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभियुक्त को बरी कर देता है। ऐसे मामले में, अपीलीय न्यायालय पर निर्दोषता की पुष्टि करने के कार्य का बोझ और बढ़ जाता है। अभियुक्त। ऐसे मामलों में, अपीलीय न्यायालय से बहुत सतर्क रहने की उम्मीद की जाती है और बरी करने के आदेश में उसके हस्तक्षेप की मांग केवल तभी की जाती है जब सम्मोहक कारण और पर्याप्त आधार हों। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय के पास उन साक्ष्यों की समीक्षा करने की पूरी शक्ति है जिन पर दोषमुक्त करने का आदेश स्थापित किया गया है, फिर भी अभियुक्त की निर्दोषता की धारणा को निचली अदालत द्वारा उसके दोषमुक्त किए जाने से और अधिक मजबूत किया जा रहा है, उस न्यायालय के निष्कर्ष जिन्हें गवाहों को देखने और उनकी दलीलें सुनने का लाभ मिला था।

साक्ष्य को केवल बहुत ठोस और सम्मोहक कारणों से ही उलट दिया जा सकता है। [पैरा 23] [768-एफ-एच; 769-ए]

सूरजपाल सिंह और अन्य। वी. राज्य, 1952 CRILJ 331 -

पर भरोसा किया।

2. अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मूल्य इसके संचयी प्रभाव पर निर्भर करता है, अर्थात, जबकि परिस्थितिजन्य साक्ष्य का एक टुकड़ा केवल इस संभावना को थोड़ा बढ़ा सकता है कि आरोपी दोषी है, ऐसे कई साक्ष्य एक साथ लिए जाने पर दोषसिद्धि को सही ठहराने के लिए पर्याप्त प्रोबेटिव बल हो सकता है, यदि ऐसा है।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य भास्कराव और ओआरएस घटनाओं की एक अखंड श्रृंखला बनाते हैं।

वी. महाराष्ट्र राज्य

जिसके परिणामस्वरूप केवल एक परिकल्पना का प्रचार किया गया। [पैरा 26] [769-डी-ई]

3. वर्तमान मामले में गवाह आपस में संबंधित थे,

और इस अदालत को उनके बयानों को स्वीकार करने में सावधानी बरतनी चाहिए। जो कोई भी कानून की अदालत के समक्ष गवाह रहा है, जिसके पास

जिन लोगों को परिणाम में कोई दिलचस्पी नहीं है, उनके साथ तराजू, विकृत सत्य के लिए अदालत के दरवाजे खोलना होगा। यह ध्वनि नियम जो इस प्रणाली का गढ़ बना हुआ है, और जो ऐसे स्रोतों से प्राप्त साक्ष्य का मूल्य निर्धारित करता है,

सावधानीपूर्वक और सावधानीपूर्वक निरीक्षण और लागू करने की आवश्यकता है। इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि गवाह के हित को उसकी गवाही को प्रभावित करना चाहिए जो एक सार्वभौमिक सत्य है। इसके अलावा, पक्षपात के प्रभाव में, एक आदमी सही तरीके से निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हो सकता है, भले ही वे ईमानदारी से ऐसा करने की इच्छा रखते हों। इसी तरह, वह निष्पक्ष तरीके से साक्ष्य प्रदान करने की स्थिति में नहीं हो सकता है, जब इसमें उसका हित शामिल हो। इस तरह के प्रभावों के तहत, मनुष्य, भले ही सचेत रूप से नहीं, कुछ तथ्यों को दबा देगा, दूसरों को नरम या संशोधित करेगा, और अनुकूल रंग प्रदान करेगा। मानवीय गवाही की विश्वसनीयता के संबंध में ये सबसे अधिक नियंत्रित करने वाले विचार हैं, और साक्ष्य के नियमों को लागू करने और प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत सत्य के पैमाने में इसका महत्व निर्धारित करने में कभी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। [पैरा 27 और 31] [769-एफ; 771-एफ-एच; 772-ए]

दलीप सिंह और अन्य। वी. पंजाब राज्य, [1954] 1 एस. सी. आर. 145; मसाला बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, [1964] 8 एस. सी. आर. 133; दरिया सिंह और ओआरएस। वी. पंजाब राज्य, [1964] 3 एससीआर 397; हरबंस कौर और अन्र। वी. हरियाणा राज्य, 2005 सी. आर. आई. एल. जे. 2199; नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य (2007) 14 एस. सी. सी. 150 [2007] 3 एस. सी. आर. 939-पर निर्भर था।

4. अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू1 के बयान पर बहुत अधिक भरोसा किया है। विशेष रूप से उनके द्वारा लगाया गया आरोप यह था कि

अभियुक्त मृतक पर तीन स्थानों पर हमला करता था, अर्थात मृतक के घर के सामने और पीडब्लू 3 के घर के पास और 'वाई' के खेतों में। हालाँकि, पीडब्लू 2,4 और 5 ने अपने बयानों में पीडब्लू 3 के सामने मृतक पर इस तरह के हमले का उल्लेख नहीं किया। यह सामग्री से प्रतीत होता है कि कोई नहीं है

प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने आरोपी को मृतक [2018] 4 एस. सी. आर. पर हमला करते देखा था।

'Y' के क्षेत्रों में। पी. डब्ल्यू. 3 के बयान भी पूरे समय सुसंगत नहीं प्रतीत होते हैं। एक समय पर, उन्होंने अपदस्थ कर दिया कि मृतक की मृत्यु उनके घर के सामने हुई थी। जांच अधिकारियों और अदालत में कुल मिलाकर एक अलग बयान दिया गया था। इसी तरह का मामला पीडब्लू4 का भी है, जिसने सुधार किए हैं

मृतक पर हमले के संबंध में। इसके अलावा पी. डब्ल्यू. 4 के संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा झटका प्राप्त करने के पहलू पर अलग-अलग बयान दिए गए थे। हालाँकि उसने कहा कि वह हमलावरों को उनके चेहरे से पहचान सकती है क्योंकि वह उनके नाम नहीं जानती है, फिर भी परीक्षण पहचान परेड आयोजित नहीं की गई जो कि है

अभियोजन के मामले के लिए घातक। [पारस 32 और 33] [77-बी, सी-एफ]

घटना के समय प्रकाश की उपलब्धता। [पैरा 33] [772-जी] 6. पीडब्लू1 ने हाथ काटते हुए नहीं देखा है, जिसके परिणामस्वरूप उसके पति की अंतिम मृत्यु हो गई। यह विवेकपूर्ण है

यह न्यायालय अभियुक्त की दोषसिद्धि के संबंध में ठोस साक्ष्य के अभाव में विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसके साक्ष्य के साथ

स्पष्ट आंतरिक विरोधाभास और विसंगतियाँ। [पैरा 34] [773-सी-डी]

7. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, उद्देश्य की भूमिका होती है, लेकिन अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से सबूतों की कमी के आधार पर हटाने के लिए।

उद्देश्य इस कारक को श्रेय देने के बराबर होगा, जहां यह देय नहीं है। मृतक पर हमला करने के पीछे आरोपी का मकसद झगड़ा बताया गया था, जिसके दौरान मृतक ने गांव में एक किराने की दुकान के पास आरोपी नंबर 4 को थप्पड़ मार दिया था। संयोग से, अभियोजन पक्ष भी किराने की दुकान पर मौजूद स्वतंत्र गवाह से पूछताछ करके इसे साबित नहीं कर सका, हालांकि इतने ही गवाह थे।

अभियोजन पक्ष द्वारा 19 गवाहों से पूछताछ की गई। पीडब्लू1 की मौखिक शिकायत को लिखित में कम करने वाले पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल पीडब्लू10 ने स्पष्ट रूप से कहा कि पीडब्लू1 ने शिकायत दर्ज करते समय पिछले झगड़े का भी उल्लेख नहीं किया था। पी. डब्ल्यू. 1 के बयान में शिकायत के चरण से लेकर उसकी परीक्षा भास्कर राव और ओ. आर. एस. तक निस्संदेह बहुत सुधार हुए थे।

वी. महाराष्ट्र राज्य

इन-चीफ। इसके अलावा, झगड़े के संबंध में पीडब्लू1 के साक्ष्य को सुनी-सुनाई गवाही होने के कारण वर्जित किया गया है। [पैरा 35] [773-एफ-जी; 774-ए-बी]

हरि शंकर बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1996) 9 एस. सी. सी. 40: [1996] 2 पूरक। एस. सी. आर. 348; उज्जागर सिंह बनाम। पंजाब राज्य (2007) 13 एस. सी. सी. 90: [2007] 13 एससीआर 653; यू. पी. राज्य बनाम किशनपाल और अन्य। , (2008) 16 एससीसी 73: [2008] 11 एससीआर 1048; बिपिन कुमार मंडल बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य (2010) 12 एस. सी. सी. 91: [2010] 8 एससीआर 1036-निर्भर

चैंडलर बनाम. डी. पी. पी. [1964] ए. सी. 763-संदर्भित। जेरोम हॉल द्वारा आपराधिक कानून के सामान्य सिद्धांत

88 (2 डी एड। 1960)-संदर्भित।

8. वैकल्पिक रूप से, अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि अपराध का उद्देश्य यह था कि आरोपी पक्ष गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से है जबकि पीड़ित अनुसूचित जाति समुदाय से थी। अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि मृतक अनुसूचित जाति के थे और आरोपी गैर-अनुसूचित जाति या जनजाति के थे और अभियोजन पक्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की धारा 3 (i) (x) और 2 (v) के तहत आरोप सहित आरोपी के खिलाफ कोई आरोप साबित करने में विफल रहा है। अत्याचार) अधिनियम। उस आरोप के विपरीत, उच्च न्यायालय ने भी निचली अदालत द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि की, जो दूसरे शब्दों में

अभियोजन पक्ष के बयान को गलत साबित किया। [पैरा 36] [774-सी-डी]

9. एक आरोपी, निश्चित रूप से, अपराध के लिए अप्रत्यक्ष रूप से दोषी है, भले ही वह सीधे अपराध करने में शामिल न हो। लेकिन अन्य अभियुक्त द्वारा किया गया, यदि वह अपने सामान्य उद्देश्य को साझा करने वाली गैरकानूनी सभा का सदस्य साबित होता है। यह स्पष्ट है कि पीडब्लू1-शिकायतकर्ता के अनुसार, प्राथमिकी में उसके द्वारा उल्लिखित व्यक्तियों की संख्या चार थी, जो उनके घर में घुसे थे, जबकि लगभग 20 से 25 व्यक्ति घर के बाहर इकट्ठा हुए थे और उन सभी ने मृतक पर हमला किया। हालाँकि, जाँच-इन-चीफ में उन्होंने पदच्युत किया कि सभी 15 हमलावर थे जिन्होंने उनके पति पर हमला किया था। हालाँकि वह अपने बयान में हमलावरों का नाम लेने में विफल रही, लेकिन उसने एक बात स्पष्ट की कि वह सभी हमलावरों को जानती थी। पी. डब्ल्यू. 10 के अनुसार, शिकायत के लेखक, पी. डब्ल्यू. 1 ने आरोपी संख्या के प्रवेश के बारे में नहीं बताया।

10. पीडब्लू11, आरोपी नंबर के खून से सने कपड़ों की जब्ती का एक पंच गवाह। 1 7 तक, अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। इसी तरह, आरोपी संख्या 11 से संबंधित कपड़ों के मामले में जब्ती संदिग्ध है, जिसमें पीडब्लू 13 गवाह था। अभिलेख पर मौजूद सामग्री के अनुसार, अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के कपड़ों की जब्ती की शुद्धता भी विश्वास को प्रेरित नहीं करती है। [पैरा 38] [775-बी-सी]

11. पी. डब्ल्यू. 6, जिसने अभियुक्त-अपीलार्थियों के कहने पर हथियारों की बरामदगी साबित की, उस पर अपने हस्ताक्षर नहीं कर सका। संबंधित प्रकटीकरण बयान और जब्ती पंचनामा। वह.

यह भी स्वीकार किया कि Ext.72 (ज्ञापन) और एक्स्ट। 73 (जब्ती पंचनामा) पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं। पीडब्लू9 ने अभियुक्तों के घरों से लाठियां बरामद करने के बाद उसे अपदस्थ कर दिया। 1 7 बजे वे ग्राम पंचायत कार्यालय लौट आए जहाँ लगभग सभी कागजात थे। लिखा जाता था। रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर, उन डंडों को आपत्तिजनक वस्तु नहीं माना जा सकता क्योंकि उन डंडों पर खून के कोई दाग नहीं थे। इसी तरह, तलवार और कुल्हाड़ी कथित तौर पर आरोपी संख्या से बरामद की गई। 13 और 11 में भी क्रमशः रक्त के धब्बे नहीं होते हैं। इन परिस्थितियों में,

अभियोजन पक्ष को इस तथ्य को साबित करने के लिए नहीं कहा जा सकता है कि मृतक की हथेली को अभियुक्त द्वारा उन हथियारों से काट दिया गया है। [पैरा 39] [775-डी-एफ] 12. मृतक के शरीर का पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर-पीडब्लू 7 की राय में, मृत्यु का कारण उसके हाथ के विच्छेदन के कारण भारी रक्त की कमी थी। हालांकि, उनके महत्वपूर्ण अंग सामान्य पाए गए और महत्वपूर्ण अंगों को कोई चोट नहीं लगी। पीडब्लू7 ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि मृतक को कोई घाव या चोट नहीं लगी थी और कहा कि समय पर चिकित्सा उपचार होता तो मृतक बच जाता। साथ ही उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति को डंडों और लोहे के पाइप से पीटा जाता है, जैसा कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया है, तो भास्कर राव और ओआरएस।

वी. महाराष्ट्र राज्य

चोट और घाव संभव हैं। उसकी क्रॉस-जाँच में, डॉक्टर ने यह भी खुलासा किया कि हाथ और पैर या दोनों के विच्छेदन के कारण, एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती है। इस प्रकार, कुल मिलाकर, चिकित्सा

साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले की पुष्टि नहीं करता है। [पैरा 40] [775-जी-एच; 776-ए-बी] 13. कई व्यक्ति, विशेष रूप से मृतक के पड़ोसी, जिन्होंने महत्वपूर्ण परिस्थितियों को देखा और जो हो सकते हैं

अभियोजन पक्ष द्वारा महत्वपूर्ण स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ नहीं की गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है। [पैरा 41] [776-एफ]

14. कई विरोधाभासी बयानों के बीच

अभियोजन पक्ष के गवाहों ने कहा कि पीडब्लू1 के लिए रिकॉर्ड पर कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं है और पुलिस स्कूल के चारों ओर तलाशी लेने के बजाय गांव के कुओं और नालों पर मृतक की तलाश कर रही है, अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार पीडब्लू 2,3 और 5 को पूरी तरह से पता था कि मृतक को स्कूल की ओर घसीटा गया था। इसके अलावा, गवाहों द्वारा वर्णित अनुक्रमों के अस्पष्ट वर्णन को देखते हुए, मामले में घटनाओं की श्रृंखला को नहीं कहा जा सकता है

अभियोजन पक्ष द्वारा ठीक से अभिलेख पर लाया गया। [पैरा 42] [777 बी-सी] 15. यह हमेशा न्यायालय का कर्तव्य होता है कि वह भूसी से भूसी को अलग करे और भूसी से सच्चाई को अलग करे।

बयान। मनुष्यों के लिए समय अंतराल के कारण अलग-अलग बयान देना स्वाभाविक है, लेकिन अगर इस तरह के बयान अभियोजन पक्ष के मूल को विफल करते हैं तो ऐसे विरोधाभास भौतिक हैं और अदालत को ऐसे बयानों का ध्यान रखना होगा। [पैरा 42]

[777 - सी-डी]

तहसीलदार सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 1012 -

पर भरोसा किया।

16. उच्च न्यायालय ने मामले के कुछ पहलुओं का गलत अर्थ निकाला है। पीडब्लू2 के अनुसार यह घटना लगभग 9 बजे हुई। में

एफ़. आई. आर. में भी समय रात 9 बजे बताया गया था। लेकिन उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि यह घटना शाम करीब 7:30 बजे हुई। इस प्रकार, अभिलेख से यह स्पष्ट है कि कथित घटना रात 9 बजे हुई है न कि शाम 7:30 बजे, जैसा कि उच्च न्यायालय ने माना है, और मृतक के हाथ के कथित विच्छेदन और उसकी मृत्यु का कोई प्रत्यक्षदर्शी भी नहीं था। [पैरा 43] [777-ई-एफ, जी] [2018] 4 एस. सी. आर.

17. में कमियों और विसंगतियों को देखते हुए

11 महत्वपूर्ण परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए मूर्खतापूर्ण तरीके से मामला चलाया गया और एक सुविचारित निर्णय दिया गया जिससे आरोपी को बरी कर दिया गया, जिसमें उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। कोई ठोस कारण नहीं थे और निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए उच्च न्यायालय के लिए पर्याप्त आधार। [पैरा 45] [778-बी-डी]

महावीर सिंह बनाम। मध्य प्रदेश राज्य (2016) 10

एससीसी 220: [2016] 8 एससीआर 394; एल. एल. काले बनाम की स्थिति

महाराष्ट्र और ओआरएस। (2000) 1 एस. सी. सी. 295; जोगिंदर सिंह

& एन. आर. वी. हरियाणा राज्य (2010) 15 एससीसी 407;

नानकुनू बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2016) 3 एस. सी. सी. 317: [2016] 4 एस. सी. आर. 627; तोता सिंह और अन्न। वी. पंजाब राज्य,

1987 क्रिएलजे 974; रमेश बाबूलाल दोशी बनाम। की स्थिति गुजरात, 1996 सी. आर. आई. एल. जे. 2867-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2016] 8 एससीआर 394

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

(2000) 1 एससीसी 295

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

(2010) 15 एस. सी. सी. 407

पै

रा 11

संदर्भित किया गया है

[2016] 4 एससीआर 627

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

पै

रा 14

संदर्भित किया गया है

1987 क्रिएलजे 974

संदर्भित किया गया है

1996 क्रिएलजे 2867

पै

रा 15

उस पर भरोसा करें

1952 क्रिएलजे 331

पै

रा 23

[1954] 1 एससीआर 145

उस पर भरोसा करें

पै

रा 27

[1964] 8 एससीआर 133

उस पर भरोसा करें

पै

रा 28

[1964] 3 एससीआर 397

उस पर भरोसा करें

पैरा 29 भास्करराव और ओ. आर. एस. वी. महाराष्ट्र राज्य

उस पर भरोसा करें

2005 क्रिएलजे 2199

पै

रा 29

[2007] 3 एससीआर 939

उस पर भरोसा करें

पै

रा 30

[1996] 2 पूरक। एससीआर 348

उस पर भरोसा करें

पै

रा 35

[1964] एसी 763

पै

रा 35

संदर्भित किया गया है

[2007] 13 एससीआर 653

उस पर भरोसा करें

पै

रा 35

[2008] 11 एससीआर 1048

उस पर भरोसा करें

पै

रा 35

[2010] 8 एससीआर 1036

उस पर भरोसा करें

पै

रा 35

उस पर भरोसा करें

पै

रा 42

ए. आई. आर 1959 एस. सी. 1012

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

408 2014 से।

उच्च न्यायालय के 21.12.2013 दिनांकित निर्णय और आदेश से

1998 की आपराधिक अपील संख्या 290 में नागपुर में बॉम्बे बेंच में न्यायिक कार्य।

के साथ

सीआरएल। ए. नं. 520 , 1328 , 1228 , 1223 , 1229 , 1330 & 1578 2014 से। वी. वी. एस. राव, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री अनघा एस. देसाई, वरुण माथुर,

धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, ताडीमल्ला भास्कर गौतम, सुबोध के।

पठान, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एन. वी. रमना, जे. 1. ये अपीलें आम लोगों से उत्पन्न होती हैं

21 दिसंबर, 2013 को बॉम्बे में उच्च न्यायालय, नागपुर की पीठ द्वारा 1998 की आपराधिक अपील संख्या 290 में पारित निर्णय और आदेश, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने 1995 की सत्र सुनवाई संख्या 40 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अमरावती द्वारा पारित बरी किए जाने के आदेश को उलट दिया और आरोपी संख्या 40 को छोड़कर सभी अभियुक्तों/अपीलार्थियों को दोषी ठहराया। 6 (मृत होने के कारण) भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 147,148,452 के साथ धारा 149, धारा 302 के साथ धारा 149 और धारा 506 के तहत दंडनीय अपराध के लिए।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्ष की कहानी यह है कि 19 जून, 1995 को

शाम करीब 7 बजे, जलका शाहपुर गाँव में दो ग्रामीणों, अर्थात् शामराव (मृतक) और बाल्या (आरोपी संख्या 4) के बीच एक किराने की दुकान के पास Rs.50/- के पुनर्भुगतान को लेकर सड़क पर बहस हुई थी।

आरोप था कि शामराव (मृतक) ने हाथापाई के दौरान बाल्या (आरोपी संख्या 4) को थप्पड़ मारा था। कुछ समय बाद, हथियारों से लैस सभी सोलह अभियुक्तों ने शामराव के घर में प्रवेश करते हुए गाली-गलौज करते हुए उसे घर से बाहर खींच लिया, उसके हाथों और पैरों पर हमला किया। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक साथ शामराव पर लगातार हमला किया।

उसे एक खेत में घसीटते हुए जहाँ उन्होंने आखिरकार उसकी दाहिनी हथेली काट दी और वहाँ से चले गए। अभियुक्त द्वारा हमले के दौरान, चंदा (पीडब्लू1) [शामराव की पत्नी] ने अपने पति को चोट न पहुँचाने की गुहार लगाते हुए उनका पीछा किया और डर से उसने किसी पशुशाला में शरण ली। बाद में वह हर्षवर्धन भालेकर के घर गई और उसे घटना के बारे में बताया। फिर हर्षवर्धन भालेकर पीडब्लू1 के साथ अमरावती गए और शामराव के परिवार के सदस्यों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद वे अमरावती के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय गए, जहाँ उन्हें नंदगांव पेठ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई। तदनुसार, एक शिकायत (एक्स. 55) 20 जून, 1995 को दर्ज किया गया था, जो 1995 का अपराध मामला संख्या 72 था। एफ. आई. आर. के एक हिस्से को निम्नानुसार कम करना प्रासंगिक हो सकता है -

: 1. गजानन चिंचोलकर

नाम और पता

अभियुक्त का, यदि कोई हो

2. बाल्या भगत

3. प्रमोद खेडकर

4. राजू मोहोल

+20 25 लोगों के लिए

नाम और पते

संदिग्धों की

अपराध की प्रकृति

घटना उपरोक्त भास्करराव और ओ. आर.

एस. की है।

दंडात्मक

अनुभाग। दें।

डीटी। समय और स्थान, जबः शिकायतकर्ता का पति घर में था, जब वह आरोपी व्यक्तियों में से बाल्या भगत के घर गया।

संक्षिप्त विवरण चोरी की गई संपत्ति

इसका मूल्य यदि कोई हो।

मछलियों के पैसे की मांग करते हुए आरोपी आए

अभियुक्त के पति और अभियुक्त व्यक्तियों का घर
पीटा है और घर से बाहर खींचा है और उक्त घटना के कारण, अपराध है

पंजीकृत कर जांच के लिए ले जाया गया।

वी. महाराष्ट्र राज्य [एन. वी. रमना, जे.]

3. दत्तात्रेय कुलकर्णी ए. पी. आई. (पीडब्लू17) ने जाँच शुरू की और जलका शाहपुर गाँव में लापता शामराव की खोज की और अंततः 21 जून, 1995 को आनंद भुरभुरे की सूचना पर पीडब्लू1 और पीडब्लू17 को शामराव का शव एक यशवंत थावले के खेत में मिला, जिसमें उसकी दाहिनी हथेली नहीं थी, जिसका उन्होंने कुछ दूरी पर पता लगाया। दृश्य का पंचनामा करने के बाद घटना, जाँच रिपोर्ट तैयार की गई थी, मृतक के कपड़े थे

कुछ गवाहों के बयान दर्ज किए गए और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अमरावती के सिविल सर्जन को भेज दिया गया। अभियुक्त नं. को छोड़कर सभी अभियुक्त। 16 जिन्हें फरार बताया गया था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनके कहने पर अपराध के लिए इस्तेमाल किए गए कथित हथियार बरामद किए गए, बयान दर्ज किए गए, जब्ती पंचनामा दर्ज किया गया और अभियुक्तों की चिकित्सकीय जांच की गई। जाँच पूरा होने के बाद अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय किए गए। 1 15 जिस पर अभियुक्त ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमे का दावा किया।

4. अभियुक्त के अपराध को साबित करने के अपने प्रयास में, अभियोजन पक्ष ने 19 गवाहों से पूछताछ की है। परीक्षण का संचालन करने के बाद विद्वान न्यायाधीश

उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की विचाराधीनता, अभियुक्त संख्या 6 की अवधि समाप्त हो गई। उच्च न्यायालय ने मुकदमे द्वारा पारित बरी करने के आदेश में गलती पाई न्यायालय और उसके निर्णय द्वारा, जो यहाँ आक्षेपित है, अभियुक्त संख्या 6 को छोड़कर उसके समक्ष सभी अभियुक्तों को धारा 147,148,452 के साथ धारा 149, धारा 302 के साथ धारा 149 और धारा 506, आई. पी. सी. के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया। उन्हें आईपीसी की धारा 147,148 और 452 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दो साल की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी। जबकि आई. पी. सी. की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उन्हें आजीवन कारावास और 5,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। वे भी थे।

छह महीने की अवधि के लिए कारावास और रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई। 500 / - प्रत्येक, डिफ़ॉल्ट रूप से, आगे एक [2018] 4 एस. सी. आर. की अवधि का सामना करेगा।

आई. पी. सी. की धारा 506 के तहत अपराध के लिए महीने का कारावास। हालांकि, सभी सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया था।

6. बरी करने के आदेश को उलटने में उच्च न्यायालय के फैसले से असंतुष्ट, अभियुक्त सं। 1 5 और 7 से 14 तक उच्च न्यायालय के फैसले पर जोर देने वाली इन अपीलों में हमारे सामने हैं। ऐसा प्रतीत होता है।

कि अभियुक्त सं. 15, गजानन पांडुरंग चिंचोलकर ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की है। 7. यह ध्यान रखना फायदेमंद हो सकता है कि अभियुक्त संख्या। 1 (मोतीराम) और 3 (रवींद्र) ने 2014 की आपराधिक अपील संख्या 1330 दायर की है।

नं. 2 (भास्कररराव), 9 (मारौती भास्कररराव भगत) और 10 (भागवत भाऊराव भगत) ने 2014 की आपराधिक अपील संख्या 408, अभियुक्त संख्या दायर की है। 4 (बाल्या) और 5 (विष्णु भाराव भगत) ने 2014 की आपराधिक अपील संख्या 1578 दायर की है, जबकि आरोपी संख्या 7 (मरोटी महादेव कोसरे) ने दायर की है।

2014 की आपराधिक अपील संख्या 1229, अभियुक्त संख्या 8 (लक्ष्मण भाऊराव भगत) ने 2014 की आपराधिक अपील संख्या 1328, अभियुक्त संख्या 11 दायर की है।

(प्रभाकर नरसाजी भगत) ने 2014 की आपराधिक अपील सं. 1223 दायर की है, अभियुक्त सं. 12 (बाबराव लक्ष्मणराव अधो) ने 2014 की आपराधिक अपील सं. 1228 दायर की है और अभियुक्त सं. 13 (दिलीप उत्तमराव मंकुर) और 14 (प्रमोद देवीदास खेडकर) ने 2014 की आपराधिक अपील संख्या 520 दायर की है।

8. अभियुक्त सं. 8 की ओर से तर्क दिए गए थे -

श्री V.V.S.Rao, विद्वान वरिष्ठ वकील। सुश्री अनघा एस. देसाई, विद्वान

वकील ने अभियुक्त संख्या की ओर से तर्क दिया है। 2 , 7 , 9 और 10 से 14, जबकि श्री धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विद्वान वकील ने प्रस्तुतियाँ दीं

अभियुक्त सं. का सम्मान। 1 , 3 , 4 और 5. संबंधित वकील द्वारा प्रस्तुत दलीलों को सुनने के बाद, क्योंकि विवादित आदेश एक ही है, हम एक सामान्य निर्णय द्वारा इन सभी अपीलों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

9. यह अपीलार्थियों-अभियुक्तों का मामला है कि पूरी अभियोजन कहानी निर्दोष अपीलार्थियों को गलत तरीके से फंसाने के लिए रची गई है और यह सही तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित नहीं है। कि अभियोजन सिद्धांत में कई खामियां थीं। कि मृतक का शव एक खेत में मिला था जो मृतक के घर से लगभग दो किलोमीटर दूर है, और मृतक की हत्या करने वाले आरोपी के तथ्य का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। उनकी कटी हुई हथेली उनके मृत शरीर से कुछ दूरी पर मिली थी, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं था कि मृतक की हथेली को किसने काटा था। भास्कररराव और ओ. आर. एस. द्वारा कथित रूप से बरामद किए गए किसी भी हथियार पर खून के धब्बे नहीं थे।

अभियुक्त के कहने पर जाँच अधिकारी। अभियोजन पक्ष के सभी गवाह आपस में संबंधित हैं और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने के लिए कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था। निचली अदालत ने इच्छुक गवाहों के साक्ष्य को सही ढंग से खारिज कर दिया है।

10. यह भी तर्क दिया जाता है कि अभियोजन पक्ष ने प्राथमिकी दर्ज करने के चरण से लेकर मुकदमे के समापन तक परिस्थितियों में सुधार किया है। एफ. आई. आर. में, मृतक और आरोपी नंबर 4 के बीच किराने की दुकान के पास आई. डी. 1/- के मामले में हुए कथित झगड़े का कोई उल्लेख नहीं था। पीडब्लू1 (मृतक की पत्नी) ने कहानी का परिचय दिया

मामले में अभियुक्त के रूप में घसीटा गया है। घटना के समय अभियुक्त की उपस्थिति के बारे में गवाहों के बयान अलग-अलग हैं और उनके बयान अभियोजन पक्ष के मामले के काफी विरोधाभासी हैं। कोई परीक्षण पहचान परेड भी आयोजित नहीं की गई थी और सभी आरोपी व्यक्ति गवाहों से परिचित नहीं हैं। अभियोजन का साक्ष्य गवाह अविश्वसनीय हैं क्योंकि आरोप था कि मृतक को उसके घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर जमीन पर घसीटा गया था, जहां उसका शव मिला था, तब भी मृतक के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे।

11. विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय इन महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखने में विफल रहा कि कोई परीक्षण नहीं है।

पहचान परेड आयोजित की गई थी, कोई उद्देश्य स्थापित नहीं किया गया था, मृतक के महत्वपूर्ण हिस्सों पर कोई चोट नहीं पाई गई थी, और सबसे बढ़कर चिकित्सा साक्ष्य कथित नेत्र साक्ष्य के साथ पुष्टि नहीं करते थे। उच्च न्यायालय इस तथ्य पर भी ध्यान देने में विफल रहा है कि निचली अदालत ने नेत्र और चिकित्सा साक्ष्य की सराहना करने में कोई कानूनी त्रुटि नहीं की है।

इस निष्कर्ष पर कि अभियुक्त निर्दोष हैं। इस न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के विरुद्ध अपील में साक्ष्य के नए सिरे से मूल्यांकन के संबंध में कानून अच्छी तरह से तय किया गया है कि भले ही साक्ष्य के आधार पर, निचली अदालत की तुलना में अलग दृष्टिकोण लेने की संभावना हो, लेकिन अपीलीय न्यायालय को निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों और निष्कर्षों में खलल डालने से बचना चाहिए। स्थापित कानून को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय को निचली अदालत द्वारा पारित बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। लेकिन निचली अदालत द्वारा पारित बरी करने के आदेश को दरकिनार करते हुए, उच्च

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अदालत ने अपीलार्थियों को दोषी ठहराकर घोर अवैधता की है

अभियुक्त जिससे न्याय की विफलता होती है जो इस न्यायालय के हस्तक्षेप को आमंत्रित करता है। अपनी दलीलों के समर्थन में अभियुक्त-अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील ने महावीर सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2016) 10 एस. सी. सी. 220, एल. एल. मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया। काले बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य। (2000) 1 एस. सी. सी. 295, जोगिंदर सिंह और अन्र। बनाम हरियाणा राज्य (2010) 15 एस. सी. सी. 407 और नानकुनू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। (2016) 3 एससीसी 317।

12. दूसरी ओर, राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील श्री निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर ने विवादित का समर्थन किया।

निर्णय और प्रस्तुत किया कि विद्वत विचारण न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य को बिना किसी वैध और उचित कारण के अस्वीकार कर दिया। बयानों में मामूली विसंगतियों को आरोपी के खिलाफ बरी करने का आदेश पारित करने के लिए अनुचित महत्व दिया गया है, जिसने क्रूर तरीके से मृतक को खेतों में घसीटा और उस पर डंडों, कुल्हाड़ी और तलवार से हमला किया। पीडब्लू1-मृतक की पत्नी चंदा ने अपने पति को बचाने की पूरी कोशिश की और आरोपी से दया दिखाने की प्रार्थना की, लेकिन सभी अभियुक्तों ने अपने सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में मृतक पर अंधाधुंध हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। उच्च न्यायालय ने सही कहा है

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का आकलन किया और इस न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग करने वाले विवादित आदेश में कोई कानूनी त्रुटि नहीं थी।

13. हमने अपने सामने रखी गई सामग्री और दोनों पक्षों के विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है।

14. निचली अदालत और उच्च न्यायालय के रूप में, सराहना करते हुए

अभिलेख पर साक्ष्य, पूरी तरह से विपरीत निष्कर्ष पर आया है, जिसमें कुछ गवाहों के बयानों का पालन करना अनिवार्य है जिनका इस मामले में महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। अपीलीय स्तर पर साक्ष्य की सराहना करने की प्रक्रिया में, हमें इस अदालत के विचारों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है जैसा कि तोता सिंह और अन्र में व्यक्त किया गया है। वी. पंजाब राज्य, 1987 CRILJ 974 -

" उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह नहीं पाया है कि पीडब्लू2 और पीडब्लू6 की गवाही को खारिज करने के लिए विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दिए गए कारण या तो अनुचित या विकृत थे। उच्च न्यायालय ने जो किया है वह अपने दम पर साक्ष्य का एक स्वतंत्र पुनर्मूल्यांकन करना और बरी किए जाने के फैसले को केवल इस आधार पर दरकिनार करना है कि
इस आधार पर कि इस तरह के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष से अलग निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इच्छुक था। इस न्यायालय ने बार-बार भास्कर राव और ओ. आर. एस. की ओर इशारा किया है।

वी. महाराष्ट्र राज्य [एन. वी. रमना, जे.]

यह कि केवल यह तथ्य कि अपीलीय न्यायालय किसी ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए साक्ष्य की पुनः प्रशंसा करने पर इच्छुक है जो बरी करने के क्रम में दर्ज साक्ष्य से भिन्न है।

निम्नलिखित न्यायालय द्वारा पारित किया जाना वैध नहीं होगा और

बरी किए जाने को दरकिनार करने के लिए पर्याप्त आधार। बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करने में अपीलीय न्यायालय की अधिकारिता इस सीमा से सीमित है कि बरी किए जाने के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि मामले में साक्ष्य पर विचार करने के लिए निचली अदालत द्वारा किया गया दृष्टिकोण किसी स्पष्ट अवैधता या

न्यायालय द्वारा नीचे अभिलिखित निष्कर्ष ऐसा है जो संभवतः किसी भी अदालत द्वारा उचित रूप से कार्य नहीं किया गया है

और विवेकपूर्ण रूप से और इसलिए, विशेषता के लिए उत्तरदायी है

विपरीत के रूप में। जहां मामले में प्रस्तुत साक्ष्य के मूल्यांकन पर दो विचार संभव हैं और नीचे दिए गए न्यायालय ने एक ऐसा दृष्टिकोण लिया है जो प्रशंसनीय है, तो अपीलीय न्यायालय कानूनी रूप से बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, भले ही यह राय हो कि नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा मामले पर विचार करने पर लिया गया दृष्टिकोण

सबूत गलत है "। " "

15. रमेश बाबूलाल दोशी बनाम। गुजरात राज्य, 1996 सीआरआईएलजे

इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" इस न्यायालय ने बार-बार यह निर्धारित किया है कि केवल यह तथ्य कि विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के अलावा कोई अन्य दृष्टिकोण वैध रूप से हो सकता है। साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर अपीलीय न्यायालय द्वारा पहुँचा गया साक्ष्य के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए एक वैध और पर्याप्त आधार का गठन नहीं कर सकता है जब तक कि यह इस निष्कर्ष पर नहीं आता है कि साक्ष्य से निपटने में निचली अदालत का पूरा दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध था या उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूरी तरह से असमर्थनीय थे। बरी किए जाने पर निर्णय देते समय अपीलीय न्यायालय को पहले इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की आवश्यकता होती है कि क्या विचारण न्यायालय के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से गलत हैं, स्पष्ट रूप से गलत हैं या स्पष्ट रूप से अस्थिर हैं। यदि अपीलीय न्यायालय उपरोक्त प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में देता है तो बरी करने के आदेश को बाधित नहीं किया जाना चाहिए।

16. उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, हम उन गवाहों के बयानों को नोट कर सकते हैं, जिन्होंने घटना के संबंध में मुकदमे से पहले गवाही दी है। पीडब्लू-1 [मृतक की पत्नी] ने अपदस्थ कर दिया है कि उसे अपने पति से हाथापाई के बारे में पता चला, जिसने [2018] 4 एस. सी. आर. लिया।

बाहर आंगन में। वह बताती है कि उसने आरोपी नं. 11 कुल्हाड़ी से लैस था, आरोपी नं। 13 तलवार से लैस था और आरोपी नं। 16 एक लोहे की नली पकड़े हुए था। वह आगे बताती है कि बाकी आरोपी डंडों से लैस थे और कुल मिलाकर 15 हमलावर थे। उसके पति को विनायक भालेकर के आंगन में घसीटा गया, जिसका घर तीन-चार घरों के बाद बताया जाता है। उस स्थान पर, उन्होंने फिर से कुछ दिया मृतक को मारना। पीडब्लू-1 बताती है कि वह लगातार हमलावरों से अपने पति की जान बचाने का अनुरोध कर रही थी। इस समय, आरोपी नं। 11 कहा जाता है कि उसने पीडब्लू-1 को धमकी दी थी ताकि वह इस घटना को न देख सके। तदनुसार, वह सुधा भालेकर नामक एक व्यक्ति के पशुशाला में गई, जिस पर आरोपी नं. 14 इस बीच, और डर से लगभग दो घंटे तक छिपा रहा। इसके बाद, पीडब्लू-1 हर्षवर्धन बालेकर के घर गए, जो पहले उनके साथ उनके घर गए।

अमरावती में जिला मुख्यालय, जहाँ उसने मृतक के परिवार (सास-ससुर और जीजा) को सूचित किया और उसके बाद अमरावती पुलिस स्टेशन गई। जैसे ही उन्हें नंदगांव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करने की सलाह दी गई, वे शिकायत दर्ज करने के लिए वापस नंदगांव पुलिस स्टेशन आए।

17. जिरह के दौरान वह बताती है कि पीडब्लू-3,4 और 5 उसके साथ निकट संबंध रखते थे और आरोपी भी आपस में संबंधित थे।

अभियुक्त के बीच संबंधों के बारे में नं। 4 और मृतक, वह कहती है कि उनके बीच संबंध सौहार्दपूर्ण थे। अंत में, वह कोई कारण नहीं बता सकी कि उसके बीच पहले झगड़ा क्यों हुआ था

मृतक पति और आरोपी नं। 4 उसके द्वारा दर्ज एफ. आई. आर. में नहीं लिखा गया था।

18. पीडब्लू-2 ने कहा कि घटना के दिन जब वह घर के अंदर से टेलीविजन देख रहा था, तो उसने कुछ हंगामा सुना जो उनके घर के बाहर हो रहा है। जब वह घर से बाहर गया तो उसने देखा कि आरोपी मृतक को कुल्हाड़ी जैसे हथियारों से पीट रहे थे।

पाइप, तलवारें और छड़ी। वह कहता है कि उसने आरोपी नं. 11 कुल्हाड़ी से लैस, आरोपी नं। 4 बांस की छड़ी से लैस, आरोपी नं। 13 तलवार से लैस और नहीं का आरोप लगाया। 16 एक लोहे की नली पकड़े हुए था। चूंकि वह डर गया था, इसलिए वह हमलावरों के पीछे नहीं गया। प्रतिपरीक्षा के दौरान, वह कहता है कि बीस से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं।

19. पीडब्लू-3 का कहना है कि उसने आरोपी को बुरी तरह पीटते हुए देखा था

मृतक लाठी, तलवार, लोहे की पाइप और कुल्हाड़ी के साथ। वह कहता है कि उसने आरोपी नं. 16 , 15 और 11 मृतक को स्कूल की ओर घसीटते हुए और उसने डर से आरोपी का पीछा नहीं किया और अगले दिन, मृतक का शव एक यशवंत सवाई के खेत में मिला। जिरह के दौरान, वह कहता है कि मृतक की मृत्यु उसके घर के सामने, आरोपी द्वारा दी गई गंभीर पिटाई के कारण हुई थी। इसके अलावा, वह स्वीकार करता है कि मृतक उसका रिश्तेदार है।

20. यह ध्यान दिया जा सकता है कि पीडब्लू-4 और 5 ने उसी को अपदस्थ कर दिया है।

घटना के संबंध में प्रभाव। उन्होंने आगे स्वीकार किया है कि वे मृतक के रिश्तेदार थे। इस बिंदु पर डॉक्टर के गवाह के बयान पर ध्यान देना प्रासंगिक हो सकता है, जिसने पोस्टमॉर्टम [पीडब्लू-7] किया था। मृतक के शरीर पर छड़ी के वार के बारे में, वह नीचे के रूप में नोट करती है

" ..... एक व्यक्ति के मामले में चोट और घाव संभव हैं।

लाठियों या पाइप से पीटा जाता है। मुझे कोई घाव नहीं मिला

या मृतक द्वारा उपजी चोट और इस तरह मैंने नहीं किया

पी. एम. नोट में ऐसी चोट का उल्लेख करें।

मृत्यु के कारण के बारे में, पीडब्लू-7 निम्नानुसार बताता है

' स्तंभ संख्या 20 में वर्णित चोट उरोस्थि में संभव है

यदि कोई व्यक्ति कठोर सतह पर गिर जाता है। खून बहने के कारण

चोट के कारण मृतक सदमे में चला गया और जिसके परिणामस्वरूप

उसकी मृत्यु में। मृतक की मौत खून बहने से हुई। की वजह से रक्त की कमी हृदय कक्ष खाली पाए गए और अन्य

अंग पीले पाए गए। महत्वपूर्ण अंग अक्षुण्ण थे। मैंने नहीं किया।

समय पर चिकित्सा उपचार से व्यक्ति बच सकता है। हाथ और पैर शरीर के गैर-महत्वपूर्ण अंग हैं। विच्छेदन के कारण

हाथ और पैर के विच्छेदन के कारण या दोनों व्यक्ति नहीं कर सकते हैं मर जाते हैं। यह हमेशा संभव नहीं है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु इसके कारण हो

घाव संख्या 1,2 और 5 जैसा कि कॉलम संख्या 17 में वर्णित है। [sic.]

[जोर दिया गया]

21. पीडब्लू-10 नंदगाँव के हेड कांस्टेबल के रूप में तैनात था।

संबंधित समय पर पुलिस स्टेशन जब पीडब्लू-1 ने शिकायत दर्ज की।

चर्चा के लिए उपरोक्त गवाह की प्रतिपरीक्षा का पालन करना फायदेमंद हो सकता है, जैसा कि नीचे दिया गया है।

..... 3 . शिकायतकर्ता पीडब्लू1-चंदा ने अपनी शिकायत में यह तथ्य नहीं बताया कि आरोपी नंबर 4 ने उसे गाली दी थी पति जब उसके पति ने आरोपी नंबर 4 से पैसे की मांग की। पीडब्लू1-चंदा ने अपनी शिकायत में यह तथ्य नहीं बताया कि अभियुक्त संख्या 13 और अभियुक्त No.15 आए और वे उसके घर में घुस गए। पीडब्लू1-चंदा ने अपनी शिकायत में यह तथ्य नहीं बताया कि उसने हमलावरों से अपने पति को न पीटने का अनुरोध किया था। पीडब्लू1-चंदा ने अपनी रिपोर्ट में एक्सएच का उल्लेख नहीं किया। 55 यह तथ्य कि आरोपी No.11 कुल्हाड़ी से लैस था, PW1-चंदा ने अपनी रिपोर्ट में नहीं बताया। 55 तथ्य यह है कि अभियुक्त No.13 के पास तलवार थी। पीडब्लू1-चंदा ने अपनी रिपोर्ट Exh.55 में यह तथ्य नहीं बताया कि अभियुक्त संख्या 15 के पास पाइप था। पीडब्लू1-चंदा ने अपनी रिपोर्ट Exh.55 में यह तथ्य नहीं बताया कि बाकी

हमलावर-अभियुक्त अपने हाथों में लाठी पकड़े हुए थे। पीडब्लू1 चंदा ने अपनी शिकायत में यह तथ्य नहीं बताया कि अभियुक्त-हमलावरों ने उसके पति शामराव को आंगन में पीटा था।

उपरोक्त गवाह से, यह स्पष्ट है कि एफ. आई. आर. में वे सभी तथ्य शामिल नहीं थे जिन्हें बाद में पी. डब्ल्यू.-1 और अन्य लोगों द्वारा अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

22. यह उल्लेख करना संदर्भ से बाहर नहीं हो सकता है कि पी. डब्ल्यू. 11 और 13 जैसे जब्ती से संबंधित औपचारिक गवाहों ने मामले का समर्थन नहीं किया है।

पूरी तरह से अभियोजन।

23. इससे पहले कि हम मामले के विश्लेषण के लिए आगे बढ़ें, हमें पहले उस मानक से संबंधित पहलू पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसे उच्च न्यायालय को निचली अदालत के बरी करने के आदेश के खिलाफ मामले की सुनवाई करते समय लागू करना है। हाथ में मामले में, निचली अदालत, एक पूर्ण-स्तरीय मुकदमे के बाद, निष्कर्ष पर आती है और ठोस तर्क से आरोपी को बरी कर देती है। ऐसे मामले में अपीलीय न्यायालय पर अभियुक्त की बेगुनाही की पुष्टि करने का बोझ और बढ़ जाता है। ऐसे मामलों में, अपीलीय न्यायालय से बहुत सतर्क रहने की उम्मीद की जाती है और बरी करने के आदेश में उसके हस्तक्षेप की मांग केवल तभी की जाती है जब कोई ठोस और ठोस कारण हों।

आधार। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय के पास उन साक्ष्यों की समीक्षा करने की पूरी शक्ति है, जिन पर बरी करने का आदेश स्थापित किया गया है, फिर भी भास्कर राव और ओआरएस द्वारा आरोपी को बरी किए जाने से निर्दोष होने की धारणा को और बल मिला है।

24. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से, हमें इस बात की जांच करने के लिए कहा जाता है कि क्या उच्च न्यायालय को परेशान करना उचित था निचली अदालत के निष्कर्ष और क्या उच्च न्यायालय के लिए बरी करने के आदेश को दरकिनार करने और आरोपी अपीलार्थी को गैर इरादतन हत्या के लिए दोषी ठहराने के लिए ठोस कारण थे?

25. हम ध्यान दे सकते हैं कि ग्यारह परिस्थितियों में से जिन पर मुकदमा चलाया गया

अदालत ने यह पता लगाने के लिए भरोसा किया है कि अभियोजन पक्ष का मामला उचित संदेह से परे साबित नहीं हुआ था, हमारी राय है कि हमें उन परिस्थितियों में से चार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जो यह दर्शाने के लिए पर्याप्त हो सकती है कि मामला उचित संदेह से परे साबित नहीं हुआ है।

26. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है। उल्लेखनीय है कि,

परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मूल्य इसके संचयी प्रभाव में निहित है, अर्थात, जबकि परिस्थितिजन्य साक्ष्य का एक टुकड़ा केवल इस संभावना को थोड़ा बढ़ा सकता है कि आरोपी दोषी है, ऐसे कई साक्ष्य एक साथ लिए जाने पर दोषसिद्धि को सही ठहराने के लिए पर्याप्त संभावित बल हो सकता है, यदि इस तरह के परिस्थितिजन्य साक्ष्य घटनाओं की एक अखंड श्रृंखला बनाते हैं।

जिसके परिणामस्वरूप केवल एक परिकल्पना का प्रचार किया गया। 27. हाथ में मौजूद साक्ष्य की सराहना पर वापस आते हुए, शुरुआत में, हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता है कि गवाह थे

इस न्यायालय को उनके बयानों को स्वीकार करने में सावधानी बरतनी चाहिए। संबंधित गवाह के साक्ष्य के मूल्यांकन से संबंधित कानून को दोहराना फायदेमंद होगा। दलीप सिंह और ओआरएस में। वी. पंजाब राज्य, (1954) 1 एस. सी. आर. 145, पीठ की ओर से जे. विवियन बोस ने कानून का अवलोकन कियाः

एक गवाह को आम तौर पर स्वतंत्र माना जाता है जब तक कि वह उन स्रोतों से नहीं निकलता है जिनके दूषित होने की संभावना है और इसका आम तौर पर मतलब है जब तक कि गवाह के पास कारण न हो, जैसे कि उसके खिलाफ दुश्मनी। अभियुक्त, उसे झूठा फंसाना चाहता है।

आम तौर पर, एक करीबी रिश्तेदार वास्तविक अपराधी की जांच करने और एक निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाने वाला अंतिम व्यक्ति होगा। यह सच है, जब भावनाएँ बढ़ जाती हैं और शत्रुता का व्यक्तिगत कारण होता है, तो यहाँ [2018] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक निर्दोष व्यक्ति को घसीटने की प्रवृत्ति है जिसके खिलाफ एक गवाह है दोषियों के साथ एक दुर्भावना है, लेकिन इसकी नींव रखी जानी चाहिए

इस तरह की आलोचना और रिश्ते का मात्र तथ्य एक होने से बहुत दूर है

नींव अक्सर सच्चाई की एक निश्चित गारंटी होती है। हालाँकि, हम किसी भी व्यापक सामान्यीकरण का प्रयास नहीं कर रहे हैं।

प्रत्येक मामले का निर्णय उसके तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। हमारी टिप्पणियाँ हैं केवल उससे लड़ने के लिए बनाया गया है जो पहले के मामलों में अक्सर सामने रखा जाता है

विवेक के एक सामान्य नियम के रूप में। ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है।

प्रत्येक मामला अपने स्वयं के तथ्यों तक सीमित और नियंत्रित होना चाहिए।

28. मसालती वी। उत्तर प्रदेश राज्य, (1964) 8 एस. सी. आर. 133, एक पाँच-न्यायाधीश

इस न्यायालय के एच ने स्पष्ट रूप से निम्नलिखित रूप में अवलोकन किया है

पक्षपाती गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य की सराहना करें या रुचि रखते हैं, इसे इस तरह के वजन में बहुत सावधानी बरतनी होगी

सबूत। में विसंगतियाँ हैं या नहीं

सबूत; क्या सबूत अदालत पर हमला करता है या नहीं वास्तविक के रूप में; चाहे कहानी का खुलासा किया गया हो या नहीं

साक्ष्य संभावित है, वे सभी मामले हैं जिन्हें लिया जाना चाहिए

हिसाब में।

गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य को केवल उस पर ही त्याग दिया जाना चाहिए इस आधार पर कि यह पक्षपातपूर्ण या रुचि रखने का प्रमाण है

गवाह। अक्सर पर्याप्त, जहाँ गाँवों में गुट प्रबल होते हैं

एक पक्षपाती प्रकार का। एकल पर ऐसे साक्ष्य की यांत्रिक अस्वीकृति

इस आधार पर कि यह पक्षपातपूर्ण है हमेशा विफलता की ओर ले जाएगा

न्याय।

कितना सबूत है, इसके बारे में कोई कठोर और तेज़ नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

सराहना की जानी चाहिए। न्यायिक दृष्टिकोण में सावधानी बरतनी होगी ऐसे साक्ष्य से निपटना; लेकिन यह दलील कि इस तरह के साक्ष्य को होना चाहिए

अस्वीकार किया जाए क्योंकि यह पक्षपातपूर्ण है, इसे सही के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(जोर दिया गया)

भास्कर राव और ओआरएस। वी. महाराष्ट्र राज्य [एन. वी. रमना, जे.]

29. दरिया सिंह और ओरस में। वी. पंजाब राज्य, (1964) 3 एस. सी. आर. 397, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक चश्मदीद गवाह, जो पीड़ित का निकट संबंधी है, के साक्ष्य की बारीकी से जांच की जानी चाहिए, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं की जानी चाहिए।

उसके साक्ष्य की स्वीकृति के लिए आवश्यक। हरबंस कौर और अन्र में। वी. हरियाणा राज्य, 2005 सी. आर. आई. एल. जे. 2199, इस न्यायालय ने कहा कि

कानून में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि रिश्तेदारों को झूठा गवाह माना जाए। इसके विपरीत, जब यह दिखाने के लिए पक्षपात की याचिका दायर की जाती है कि गवाहों के पास वास्तविक अपराधी को बचाने और आरोपी को गलत तरीके से फंसाने का कारण था, तो कारण दिखाया जाना चाहिए।

30. अंतिम मामला जो हमें खुद को चिंतित करने की आवश्यकता है वह नामदेव बनाम का मामला है। महाराष्ट्र राज्य, (2007) 14 एस. सी. सी. 150, जिसमें इस न्यायालय ने पिछले उदाहरणों को देखने के बाद निम्नलिखित तरीके से कानून का सारांश दिया हैः

यह स्पष्ट है कि एक करीबी रिश्तेदार को 'इच्छुक' गवाह के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। वह एक 'स्वाभाविक' गवाह है। हालाँकि, उसके साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जाँच की जानी चाहिए। यदि इस तरह की जांच पर, उसका साक्ष्य आंतरिक रूप से विश्वसनीय पाया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से संभावित और पूरी तरह से भरोसेमंद दोषसिद्धि ऐसे गवाह की 'एकमात्र' गवाही पर आधारित हो सकती है। मृतक या पीड़ित के साथ गवाह का घनिष्ठ संबंध उसके साक्ष्य को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। इसके विपरीत, मृतक का करीबी रिश्तेदार आम तौर पर वास्तविक अपराधी को छोड़ने और एक निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाने के लिए सबसे अधिक अनिच्छुक होता है।

एक.

31. इस न्यायालय के उपरोक्त उदाहरणों के अध्ययन से, हम

इस बात पर ध्यान दिया जा सकता है कि जो कोई भी अदालत के समक्ष गवाह रहा है, जिसके परिणाम में मजबूत रुचि है, अगर उसे उन लोगों के साथ समान पैमाने पर तौला जाने की अनुमति दी जाती है, जिनकी परिणाम में कोई रुचि नहीं है, तो विकृत सत्य के लिए अदालत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। यह ठोस नियम जो इस प्रणाली का गढ़ बना हुआ है, और जो ऐसे स्रोतों से प्राप्त साक्ष्य के मूल्य को निर्धारित करता है, सावधानीपूर्वक और सावधानीपूर्वक अवलोकन और लागू करने की आवश्यकता है। इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि गवाह के हित को उसकी गवाही को प्रभावित करना चाहिए जो एक सार्वभौमिक सत्य है। इसके अलावा, पक्षपात के प्रभाव में, एक आदमी न्याय करने की स्थिति में नहीं हो सकता है सही है, भले ही वे ईमानदारी से ऐसा करना चाहते हों। इसी तरह, वह निष्पक्ष तरीके से साक्ष्य प्रदान करने की स्थिति में नहीं हो सकता है, जब इसमें उसका हित शामिल हो। इस तरह के प्रभावों के तहत, मनुष्य, भले ही सचेत रूप से नहीं,

कुछ तथ्यों को दबाएँ, दूसरों को नरम या संशोधित करें, और अनुकूल [2018] 4 एस. सी. आर. प्रदान करें।

32. अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू1 के इस बयान पर बहुत भरोसा किया है कि आरोपी अपीलकर्ताओं ने उसके पति पर घातक हथियारों से हमला किया था उसे अपने घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर खेतों में घसीटते हुए उसके हाथों और पैरों पर गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार तलवार, लाठी, कुल्हाड़ी और पाइप बताए गए थे। मान लीजिए कि कथित तौर पर बरामद किए गए हथियारों में से किसी पर भी खून के धब्बे नहीं पाए गए थे।

अभियुक्त। विशेष रूप से आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने मृतक पर तीन स्थानों पर हमला किया, यानी मृतक के घर के सामने और पीडब्लू 3-विनायक भालेकर के घर के पास और यशवंत थावले के खेतों में। हालाँकि, पीडब्लू 2,4 और 5 ने अपने बयानों में विनायक भालेकर के घर के सामने मृतक पर इस तरह के हमले का उल्लेख नहीं किया है। सामग्री से ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है जिसने आरोपी को यशवंत थावले के खेतों में मृतक पर हमला करते देखा हो। पीडब्लू 3-विनायक भालेकर के बयान भी पूरे समय सुसंगत नहीं प्रतीत होते हैं। एक समय पर, उन्होंने अपदस्थ कर दिया कि मृतक की मृत्यु उनके घर के सामने हुई थी। जांच अधिकारियों और अदालत में कुल मिलाकर एक अलग बयान दिया गया था। पीडब्लू4 सुधा का भी यही मामला है, जिन्होंने मृतक पर हमले के संबंध में सुधार किए हैं। पी. डब्ल्यू. 4-सुधा के संबंध में प्रहार प्राप्त करने के पहलू पर अभियोजन पक्ष के गवाहों के अलग-अलग बयान भी थे।

33. पीडब्लू4 सुधा भालेकर के बयान से पता चलता है कि उनके पास था

अपराध में ए-1, ए-4, ए-11, ए-13, ए-14 और ए-16 की भागीदारी देखी गई। हालाँकि उसने कहा कि वह हमलावरों को उनके द्वारा पहचान सकती थी

चेहरा क्योंकि वह उनके नाम नहीं जानती है, फिर भी परीक्षण पहचान परेड आयोजित नहीं की गई जो अभियोजन के मामले के लिए घातक है। पीडब्लू 2,3 और 5 ने अपने बयानों में अपराध में कई अभियुक्त व्यक्तियों की संलिप्तता के बारे में विरोधाभासी बयान दिए और उस अभियुक्त पर भी ध्यान दिया जिसने मृतक पर हमला करते हुए उसे घसीटा और स्कूल की ओर घसीटा, जबकि पीडब्लू 1 और 4 इस पहलू पर चुप थे। घटना के समय प्रकाश की उपलब्धता के संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाहों के विरोधाभासी बयान भी थे। पीडब्लू 3 के अनुसार-पीडब्लू 4 के पति विनायक-सुधा, जिनका घर मोहल्ला में अंतिम है और चार अन्य घरों भास्करराव और ओआरएस की दूरी पर स्थित है।

वी. महाराष्ट्र राज्य

[एन. वी. रमना, जे.]

मृतक के घर से यह घटना रात 9 बजे हुई। रास्ता।

उसके घर के पीछे स्कूल जाता है और उसके घर के सामने एक इमली का पेड़ है और शामराव का घर उसके घर के आंगन में बैठने से दिखाई नहीं देता है। अपनी जिरह में, उन्होंने पुलिस के सामने इस बात से इनकार किया कि मृतक शामराव का घर पुलिस स्टेशन में स्थित है।

उसके घर के पीछे। उन्होंने आगे कहा, उनके घर से मृतक के घर तक 'एल' प्रकार का मोड़ है जो उनके आंगन से दिखाई नहीं देता है। उनके अनुसार, मृतक शामराव की उनके घर के सामने मृत्यु हो गई और अगले दिन उन्होंने खेत में शामराव का शव देखा।

34. अब मामले के तथ्यों पर आते हुए, पीडब्लू1 (महिला की पत्नी)

मृतक) ने हाथ काटते हुए नहीं देखा है, जिसके परिणामस्वरूप उसके पति की अंतिम मृत्यु हो गई है। इस न्यायालय के लिए यह विवेकपूर्ण है कि वह इसमें अभियुक्त की दोषसिद्धि के संबंध में ठोस साक्ष्य के अभाव में विश्वास न करे, क्योंकि उसका साक्ष्य स्पष्ट आंतरिक विरोधाभासों और विसंगतियों से भरा हुआ है।

35. इसमें शामिल साक्ष्य की प्रकृति और गुणवत्ता के कारण

कुछ अंग्रेजी मामले 2 जिन्हें जेरोम हॉल द्वारा सबसे अच्छी तरह से समझाया गया है, जब उन्होंने कहा कि 'दंडात्मक कानून के किसी भी हिस्से को निश्चित रूप से अधिक निश्चित रूप से निपटाया जाता है क्योंकि यह उद्देश्य अप्रासंगिक है'। 3 हम ध्यान दे सकते हैं कि भारत में कानून अब अच्छी तरह से तय हो गया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, उद्देश्य की भूमिका होती है, लेकिन केवल उद्देश्य की कमी के आधार पर अभियोजन पक्ष के मामले को हटाने के लिए इस कारक को श्रेय देना होगा, जहां यह देय नहीं है। 5 मृतक पर हमला करने के पीछे आरोपी का मकसद झगड़ा बताया गया था, जिसके दौरान मृतक ने गांव में एक किराने की दुकान के पास आरोपी नंबर 4 को थप्पड़ मार दिया था। संयोग से, अभियोजन पक्ष भी किराने की दुकान में मौजूद स्वतंत्र गवाह से पूछताछ करके इसे साबित नहीं कर सका 1 हरि शंकर बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (1996) 9 एस. सी. सी. 40। 2 चैंडलर बनाम। डी. पी. पी., [1964] एसी 763

3 जेरोम हॉल, आपराधिक कानून के सामान्य सिद्धांत 88 (2 डी संस्करण। 1960)। 4 उज्जागर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2007) 13 एस. सी. सी. 90) और उत्तर प्रदेश राज्य। बनाम किशनपाल

& ओआरएस। , (2008) 16 एससीसी 73.

5 बिपिन कुमार मंडल बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य (2010) 12 एस. सी. सी. 91.

हालांकि अभियोजन पक्ष द्वारा 19 गवाहों से पूछताछ की गई थी। पी. डब्ल्यू. 10 श्रीकृष्णा, पीएस नंदगांव पेठ के हेड कांस्टेबल जो

पीडब्लू1 की मौखिक शिकायत को लिखित रूप में कम कर दिया, स्पष्ट रूप से कहा कि पीडब्लू1 ने दर्ज कराने के समय पिछले झगड़े का भी उल्लेख नहीं किया था

शिकायत की। पी. डब्ल्यू. 1 के बयान में शिकायत के चरण से लेकर उसकी जाँच तक-मुख्य रूप से, निस्संदेह बहुत सुधार हुए थे। इसके अलावा, झगड़े के संबंध में पीडब्लू1 के साक्ष्य को सुनी-सुनाई गवाही होने के कारण वर्जित किया गया है।

36. वैकल्पिक रूप से, अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि अपराध का उद्देश्य यह था कि आरोपी पक्ष गैर-एससी/एसटी समुदाय से है

जबकि पीड़ित अनुसूचित जाति समुदाय से थी। लेकिन, निचली अदालत की राय में, अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि मृतक अनुसूचित जाति के हैं और आरोपी गैर-अनुसूचित जाति या जनजाति के थे और अभियोजन पक्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (i) (x) और 2 (v) के तहत आरोप सहित आरोपी के खिलाफ कोई आरोप साबित करने में विफल रहा है। उस आरोप के विपरीत, उच्च न्यायालय ने भी द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि की विचारण न्यायालय, जिसने दूसरे शब्दों में अभियोजन पक्ष के कथन को गलत साबित किया।

37. अब हमें मामले के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जैसे कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में विरोधाभास

कथित अपराध में शामिल अभियुक्त व्यक्तियों की संख्या और उनकी पहचान के संबंध में भी आई. पी. सी. की धारा 149 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य को साबित करने में अभियोजन पक्ष का उद्देश्य विफल हो जाता है। एक अभियुक्त, निश्चित रूप से, अपराध के लिए अप्रत्यक्ष रूप से दोषी है, भले ही वह सीधे अपराध में शामिल न हो, लेकिन अन्य अभियुक्तों द्वारा किया गया हो, अगर वह अपने सामान्य उद्देश्य को साझा करने वाली गैरकानूनी सभा का सदस्य साबित हो जाता है। यह स्पष्ट है कि पी. डब्ल्यू. 1 (मृतक की पत्नी)-शिकायतकर्ता के अनुसार, एफ. आई. आर. (अतिरिक्त) में। 55) उनके द्वारा उल्लिखित व्यक्तियों की संख्या, जो उनके घर में घुसे हैं, चार थी, जबकि लगभग 20 से 25 व्यक्ति थे

घर के बाहर इकट्ठा हुए और उन सभी ने मृतक पर हमला किया। हालाँकि, जाँच-इन-चीफ में उन्होंने पदच्युत किया कि सभी 15 हमलावर थे जिन्होंने उनके पति पर हमला किया था। हालाँकि वह अपने बयान में हमलावरों का नाम लेने में विफल रही, लेकिन उसने एक बात स्पष्ट की कि वह सभी हमलावरों को जानती थी। शिकायत के लेखक पीडब्लू10 श्रीकृष्ण के अनुसार, पीडब्लू1 ने आरोपी संख्या के प्रवेश के बारे में नहीं बताया। 13 और 15 उसके घर में। भास्करराव और ओआरएस के बारे में प्राथमिकी दर्ज करने के समय भी उनके द्वारा कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

ए-11 द्वारा कुल्हाड़ी, ए-13 द्वारा तलवार, ए-15 द्वारा पाइप और अन्य अभियुक्तों द्वारा डंडे लिए हुए। अभिलेख पर सामग्री को देखते हुए, यह कहा जा सकता है कि पी. डब्ल्यू. 1 की ओर से इसमें चूक के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं था।

न्यायालय के समक्ष एफ. आई. आर. और सुधार।

38. पीडब्लू11-सागर, आरोपी नंबर के खून से सने कपड़ों की जब्ती का एक पंच गवाह। 1 7 तक, अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। उसके अनुसार, पुलिस ने उसे पुलिस स्टेशन बुलाया और उसकी

हस्ताक्षर करें। इसी तरह, आरोपी नंबर 11 से संबंधित कपड़ों के मामले में जब्ती संदिग्ध है, जिस पर पीडब्लू 13-गुनवंत गवाह थे जिन्होंने कहा था

कि उसने उन कपड़ों को पहली बार ग्राम पंचायत कार्यालय में देखा था और उसने कागज की सामग्री की शुद्धता को जाने बिना पुलिस के कहने पर उस पर हस्ताक्षर किए थे। अभिलेख पर मौजूद सामग्री के अनुसार, अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के कपड़ों की जब्ती की शुद्धता भी विश्वास को प्रेरित नहीं करती है।

39. रिकॉर्ड से यह भी स्पष्ट है कि पीडब्लू 6-सुखदेव, जिन्होंने अभियुक्त-अपीलार्थियों के कहने पर हथियारों की बरामदगी को साबित किया, संबंधित प्रकटीकरण बयानों और जब्ती पंचनामों पर अपने हस्ताक्षर नहीं कर सके। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि Ext.72 (ज्ञापन) और एक्स्ट। 73 (जब्ती पंचनामा) पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं। पीडब्लू 9-आनंद रामटेके ने आरोपी नंबर 9 के घरों से डंडे बरामद करने के बाद उसे अपदस्थ कर दिया। 1 7 बजे वे ग्राम पंचायत कार्यालय लौट आए जहाँ लगभग सभी कागजात लिखे हुए थे। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर, उन डंडों को आपत्तिजनक वस्तु नहीं माना जा सकता है क्योंकि उन डंडों पर खून के कोई दाग नहीं थे। इसी तरह कथित तौर पर तलवार और कुल्हाड़ी बरामद हुई

अभियुक्त संख्या से। 13 और 11 में भी क्रमशः रक्त के धब्बे नहीं होते हैं। इन परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष को इस तथ्य को साबित करने के लिए नहीं कहा जा सकता है कि मृतक की हथेली को अभियुक्त द्वारा उन हथियारों से काट दिया गया है।

40. मृतक के शरीर का पोस्टमॉर्टम करने वाली डॉ. पुष्प साधवानी-पीडब्लू 7 की राय में, मृत्यु का कारण उसके अंग विच्छेदन के कारण भारी रक्त की कमी थी।

हाथ। हालांकि, उनके महत्वपूर्ण अंग सामान्य पाए गए और महत्वपूर्ण अंगों को कोई चोट नहीं लगी। दाहिनी कटी हुई कलाई और अग्र-भुजा और पैर के निचले हिस्से के पृष्ठीय पहलू पर घाव थे। पीडब्लू7 ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि मृतक को कोई घाव या चोट नहीं लगी थी और राय दी है कि समय पर चिकित्सा

इलाज से मृतक बच जाता। साथ ही उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति को डंडों और लोहे के पाइप से पीटा जाता है, जैसा कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया है, तो चोटें और

घाव हो सकते हैं। उसकी क्रॉस-जाँच में, डॉक्टर ने यह भी खुलासा किया कि हाथ और पैर या दोनों के विच्छेदन के कारण, एक व्यक्ति

शायद नहीं मरेंगे। इस प्रकार, कुल मिलाकर, चिकित्सा साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले की पुष्टि नहीं कर रहा है।

अमरावती। फिर वे पुलिस अधीक्षक के कार्यालय गए और फिर वे शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गए। विडंबना यह है कि उक्त हर्षवर्धन भालेकर, जो एक प्रमुख गवाह हो सकते थे, से पूछताछ नहीं की गई है। पीडब्लू1 का आचरण और ऐसे महत्वपूर्ण गवाह हर्षवर्धन भालेकर से पूछताछ न करना अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर करता है। साथ ही, मृतक की तलाश करने या शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने के बजाय, वे किस उद्देश्य के लिए पुलिस अधीक्षक के कार्यालय गए, इसका कोई उचित स्पष्टीकरण सामने नहीं आया। पीडब्ल्यूएस 1,2 और 3 लक्ष्मण भालेकर के साक्ष्य के अनुसार, भाऊराव, अरुण भालेकर और नामदेव भालेकर मृतक के पड़ोसी हैं जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन उनमें से किसी की भी जांच नहीं की गई। अभियोजन पक्ष के मामले में एक और अड़चन यह है कि प्राथमिकी में यह उल्लेख किया गया था कि धनजय सोनटक्के और जनार्दन अलेकर ने भी मामले को देखा था। अभियुक्तों ने मृतक पर हमला किया, लेकिन उनसे भी पूछताछ नहीं की गई। इसी तरह, एक अनंत भुरभुरे, जिसे पहली बार यशवंतराव के खेतों में मृतक का शव मिला था, की भी जांच नहीं की गई। यह स्पष्ट है कि उन सभी व्यक्तियों, विशेष रूप से मृतक के पड़ोसियों, जिन्होंने महत्वपूर्ण परिस्थितियों को देखा और जो महत्वपूर्ण स्वतंत्र गवाह हो सकते हैं, से अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है।

42. अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह पैदा करने वाला एक अन्य पहलू है

कि पीडब्लू5-मारौती, पीडब्लू2 के असली भाई-नरेंद्र और पीडब्लू4 के भतीजे-सुधा ने अपनी प्रतिपरीक्षा (Ext.70) में पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयान से असहमति जताई और 'ए' चिह्नित किया कि उन्होंने और उनके भाई (पीडब्लू2) ने मृतक को दरवाजे के सामने लेटे हुए देखा। उनके अनुसार उन्होंने यह तथ्य नहीं बताया, पुलिस अगले दिन सुबह 8 बजे भास्करराव और ओआरएस गांव में पहुंची।

और वह सुबह 10 बजे पुलिस के साथ मैदान में गया। पीडब्लू 3-पीडब्लू 4 के विनायक पति-सुधा ने बयान दिया कि उन्होंने यशवंत थावले का शव खेत में देखा था। पीडब्लू2-नरेंद्र ने यह भी कहा है कि आईडी1 पर सुबह लगभग 9:30 बजे, उन्हें अन्य ग्रामीणों के साथ उक्त खेत में मृतक का शव मिला। हम देखते हैं कि अभियोजन पक्ष के बीच कई विरोधाभासी बयानों के बीच

गवाहों, पीडब्लू1 के लिए रिकॉर्ड पर कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं है और पुलिस स्कूल के चारों ओर खोज करने के बजाय गांव के कुओं और नालों पर मृतक की तलाश कर रही है, अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार पीडब्लू 2,3 और 5 को पूरी तरह से पता था कि मृतक को स्कूल की ओर घसीटा गया था। इसके अलावा, वर्णित अनुक्रमों के अस्पष्ट वर्णन को देखते हुए

गवाहों द्वारा, मामले में घटनाओं की श्रृंखला को अभियोजन पक्ष द्वारा ठीक से रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है। अदालत का हमेशा यह कर्तव्य होता है कि वह भूसी से भूसी को अलग करे और बयानों के कोलाहल से सच्चाई को अलग करे। मनुष्यों के लिए समय अंतराल के कारण अलग-अलग बयान देना स्वाभाविक है, लेकिन अगर इस तरह के बयान अभियोजन पक्ष के मूल को विफल कर देते हैं तो ऐसे विरोधाभास भौतिक हैं और अदालत को ऐसे बयानों के प्रति सचेत रहना होगा। तहसीलदार सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 1012]

43. हमने विवादित फैसले से यह भी पाया है कि उच्च न्यायालय ने मामले के कुछ पहलुओं का गलत अर्थ निकाला है। पीडब्लू2 नरेंद्र के अनुसार यह घटना 19.6.1995 पर लगभग 9 बजे हुई। एफ. आई. आर. में भी समय रात 9 बजे बताया गया था। लेकिन उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा, "जहां तक प्रकाश की उपलब्धता के बारे में प्रस्तुतियों का संबंध है, हम पाते हैं कि घटना जून के महीने में गांव में लगभग 7:30 बजे हुई थी और विदर्भ क्षेत्र में जून के महीने में प्रकाश की उपलब्धता को देखते हुए, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि चश्मदीद गवाहों के पास आरोपी की पहचान करने के लिए पर्याप्त प्रकाश था।

44. दलीलों के समापन पर, बार में यह सूचित किया जाता है कि निचली अदालत ने राजू-अभियुक्त के संबंध में अलग से मुकदमा चलाया था नं. 16, जो पहले फरार था, और उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया और राज्य ने उसके बरी होने के खिलाफ कोई अपील नहीं की। हमने यह भी देखा है कि पीडब्लू 1,2 और 3 ने 2008 के विशेष (अत्याचार) मामले संख्या 12 में आयोजित [2018] 4 एस. सी. आर. में बाद के मुकदमे में विपरीत बयान दिए हैं।

राजू के खिलाफ-अभियुक्त संख्या 16, वर्तमान मामले में उन्होंने जो बयान दिया, उससे अलग।

45. सुधार और विरोधाभासों के साथ अभियोजन मामले में पूर्वगामी कमियों और विसंगतियों पर ध्यान देना।

अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने वास्तव में एक गैरकानूनी सभा का गठन किया था और मृतक पर हमला किया था, वह भी उसे मारने के उद्देश्य से, ताकि आपराधिक कानून के प्रावधानों को आकर्षित किया जा सके। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह बहुत स्पष्ट है कि अभियुक्त व्यक्तियों का अपराध उचित संदेह से परे साबित नहीं हुआ था। हमारा विचार है कि निचली अदालत ने 11 महत्वपूर्ण परिस्थितियों को सामने लाते हुए मूर्खतापूर्ण तरीके से मामले को निपटाया था और एक उचित निर्णय दिया था जिससे आरोपी को बरी कर दिया गया था, जिसमें उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय के लिए निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई ठोस कारण और ठोस आधार नहीं हैं। उपरोक्त के अलावा, हमें सूचित किया जाता है कि अभियुक्त पहले ही लगभग तीन साल की सजा काट चुके हैं।

जमानत पर रिहा होने से पहले उन्हें कारावास में डाल दिया गया था।

46. अभियोजन पक्ष के मामले के आधार और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है। उपरोक्त परिस्थितियों में, हम इन अपीलों की अनुमति देते हैं, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश को दरकिनार करते हैं और हमारे समक्ष अपीलार्थियों के संबंध में निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और आदेश को बहाल करते हैं। नतीजतन, उनके जमानत बांड जारी कर दिए जाते हैं। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाएगा।

अपीलों की अनुमति दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी